पट्टा - प्रलेख

पक्ष की संख्या (1) 4513

का विवरण प्रथम-पक्ष -

1. नाम श्रीमती शकुन्तला देवी

पिता/पति का नाम श्यौदान सिंह

स्थाई पता निवासी- सिद्दावली; पर० रजपुरा तहसील गुन्नौर जिला- भीमनगर

2 अस्थाई पता उपरोक्त

व्यवसाय ग्रहणी

1. नाम ....

पिता/पति का नाम ....

स्थाई पता ....

अस्थाई पता ....

व्यवसाय ....

3. नाम ....

पिता/पति का नाम ....

स्थाई पता ....

अस्थाई पता ....

व्यवसाय ....

4 नाम ....

पिता/पति का नाम ....

स्थाई पता ....

अस्थाई पता ....

व्यवसाय ....

नि॰ प्रथमपक्ष
श्रीमती शकुन्तला देवी

प्रथम पक्ष की संख्या (1)

क्रेता (द्वितीयपक्ष) **का विवरण** नवोदित विद्या निकेतन समिति ग्राम सिद्दावली, डा॰ मेउआ हसनगंज तह॰ गुन्नौर जिला भीमनगर

1. नाम द्वारा प्रबन्धक श्रीमती रश्मि

पिता/पति का नाम विक्रम सिंह

स्थाई पता निवासी- सिद्दावली, पर० रजपुरा तहसील - गुन्नौर, जिला - भीमनगर

अस्थाई पता उपरोक्त

व्यवसाय ग्रहणी

1. नाम ....

पिता/पति का नाम ....

स्थाई पता ....

अस्थाई पता ....

व्यवसाय ....

3. नाम ....

पिता/पति का नाम ....

स्थाई पता ....

अस्थाई पता ....

व्यवसाय ....

4 नाम ....

पिता/पति का नाम ....

स्थाई पता ....

अस्थाई पता ....

व्यवसाय ....

ह॰ द्वितीय पक्ष
रश्मि सिंह

(कृपया साफ साफ टाइप करें या हाथ से भरें)3ण

1. भूमि का प्रकार (कृषि/आवासीय/वाणिज्यिक / औद्योगिक / अन्य ✓

2. वार्ड /परगना .... रजपुरा

3. मौहल्ला ग्राम .... सिहावली

4. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं.). गाटा सं० (खसरा सं०) 463/0.812 है जिसमे से 8080 वर्गमीटर का पट्टा 30 वर्ष हेतु जिसमे सात कमरे मय बरामदा प्रत्येक कमरे की माप लम्बाई 7 मी० व चौडाई 6 मी० 50 से०मी० कुल प्रत्येक

5. मापन की इकाई (हे0/वर्ग मीटर) कमरे का क्षेत्रफल 45.5 वर्गमीटर तथा बाकी जगह फील्ड के रूप में खाली

6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल .... है।

7. सडक की स्थिति (परिशिष्ठ के अनुसार) .... ×

8. अन्य विवरण (9 मीटर रोड / कार्नर इत्यादि .... ×

9. सम्पत्ति का प्रकार .:-

प्लाट/फ्लैट / मकान/ दुकान / कृषि

10 सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल (भूहुमंजिला भवन की स्थिति .... ×

11 कुल आच्छाति का क्षेत्रफल .... ×

12. स्थिति-फिनिश्ड /सेटीफिनिश्ड /अन्य ....

13. पेडो का मूल्याकंन .... ×

14 बोरिंग /कुआ/ अन्या .... ×

15 निर्मित क्षेत्रफल .... ×

16. निर्माण का वर्ष .... ×

17. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है हां या नही ×

18. प्रतिफल की धनराशि ....

चौहडी

पूरब खेत महेन्द्र

पश्चिम चकमार्ग

उत्तर सदर निकास व खेत मशीचरन आदि

दक्षिण खेत पंचम आदि

नि० प्रथम पक्ष
श्रीमती [illegible] देवी

ह० द्वितीय पक्ष
रश्मि

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH   पर्त नं० (1)   P 920685

Prem Pal Dy.
Cashier G.N.R.

पट्टा - प्रलेख

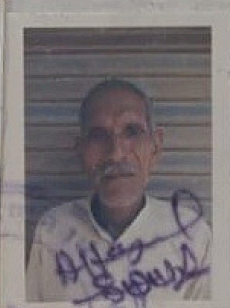
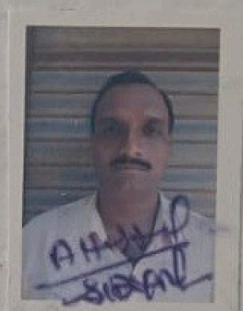

मुद्दत → 30 साल पट्टा

किराया → 3000 रु० सालाना

स्टाम्प देय → 900/ रुपया

मैं कि शकुन्तला देवी पत्नी श्यौदान सिंह निवासी सिहावली, परगना रजपुरा तहसील गुन्नौर जनपद भीमनगर (प्रथम-पक्ष)

एवम्

नवोदित विद्या निकेतन समिति ग्राम सिहावली, डा० मेउआ हसन गंज परगना रजपुरा तहसील गुन्नौर जिला भीमनगर द्वारा प्रबन्धक श्रीमती रश्मि पत्नी विक्रमसिंह नि० ग्राम सिहावली, पर० रजपुरा तह० गुन्नौर जिला भीमनगर (द्वितीय-पक्ष)

नि०अं० प्रथम पक्ष
नि०अं० श्रीमती शकुन्तला देवी

ह० द्वितीयपक्ष
रश्मि

क्रमांक 481 दिनांक 13-5-12 कीमत 2500/-

नाम श्रीमती शकुन्तला देवी पिता/पति W/o बंगाली सिंह

नि० सिहावली परगना

तहसील सिहावली जिला संभल

प्रयोजन ...

उप संकलिया-उप कोषागार 13-5-12

गुन्नौर (बदायूं)

नि०शुल्क	नकल	प्रमाणा शुल्क	योग	शब्द लगभग
2000/-		20/-	220/-	700

किरायनामा

वार्षिक किराया 3000/- प्रतिवर्ष

श्री श्रीमती शकुन्तला देवी W/o बंगाली सिंह

नि० सिहावली तह० गुन्नौर

जिला भीमनगर ... उप निबन्धक गुन्नौर

जिला ... के आफिस में आज दिनांक 13-5-12

के समय 3 व 4 अपराह्न प्रस्तुत किया।

SHARMA NAVIN KUMAR S
SUB-REGISTRAR
GUNNAUR
13-5-12

लेखपत्र का निष्पादन तथा प्रतिफल वि० मूल्य रु०

से ... प्राप्त करके उक्त

श्रीमती शकुन्तला देवी क्र I व आदेशानुसार श्रीमती रश्मि (क्र II)

ने स्वीकार किया।

श्री शकुन्तला

जिनकी पहचान श्री निर्मल सिंह

पुत्र श्री रामसिंह निवासी सिहावली

व श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री ... 230

निवासी तह० गुन्नौर ने की।

SHARMA NAVIN KUMAR
SUB-REGISTRAR
GUNNAUR
13-5-12

रश्मि

निर्मल सिंह

साक्षीगण के अँगुष्ठ चिन्ह नियमानुसार लिये गये हैं।

SHARMA NAVIN KUMAR S
SUB-REGISTRAR
GUNNAUR
13-5-12

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH पर्त नं(2) AF 650879

मैं (प्रथम पक्ष) अपनी एक किता जमीन को द्वितीय पक्ष को निम्नलिखित शर्तों पर पट्टे पर दे रही हूँ :-

(1) यह कि पट्टा दाता प्रथम पक्ष ने पट्टेदार-द्वितीय पक्ष को आज दिनांक 13/08/2012 ई० से 12/08/2042 ई० तक वास्ते मुद्दत 30 साल की अवधि हेतु यानि वर्णित सम्पत्ति को

नि० प्रथम पक्ष
श्रीमती शकुन्तला देवी

ह० द्वितीय पक्ष
रश्मि

प-......[illegible]

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा- 32 ए के अनुपालन हेतु फिंगर प्रि

तकर्ता/निष्पादक का नाम- श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी श्री [illegible] सिंह [illegible]

बायें हाथ की अंगुलियों के फिंगरप्रिंट-

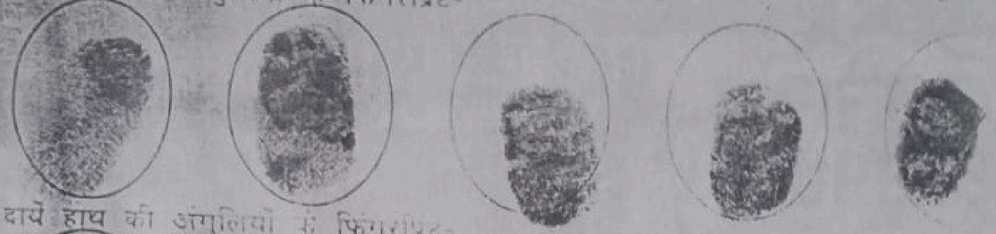

दायें हाथ की अंगुलियों के फिंगरप्रिंट-

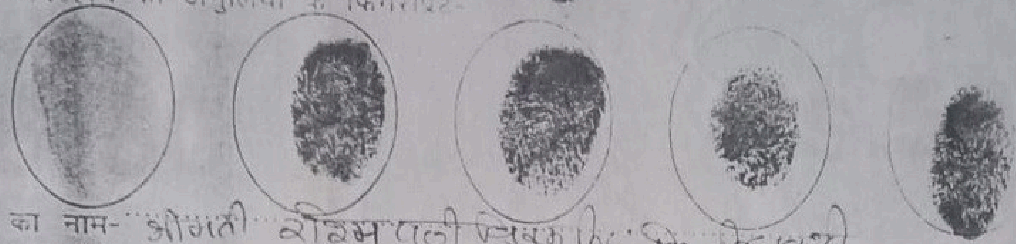

क का नाम- श्रीमती रश्मि पत्नी [illegible] सिंह [illegible]

बायें हाथ की अंगुलियों के फिंगरप्रिंट-

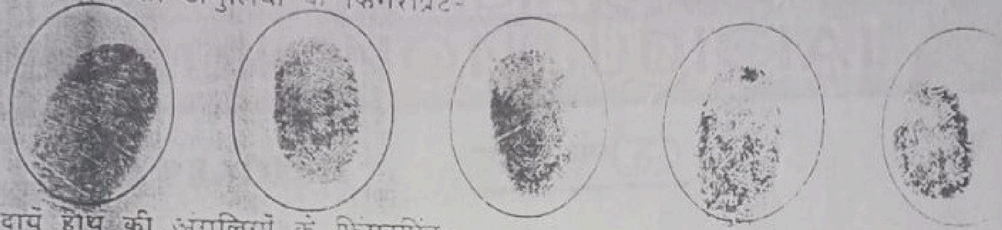

दायें हाथ की अंगुलियों के फिंगरप्रिंट-

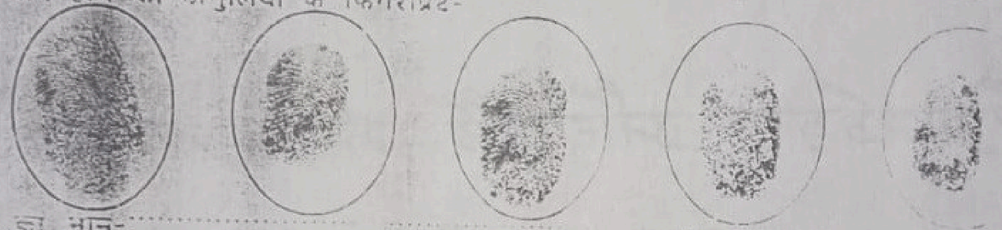

का नाम-..

बायें हाथ की अंगुलियों के फिंगरप्रिंट

दायें हाथ की अंगुलियों के फिंगरप्रिंट-

का नाम-..

बायें हाथ की अंगुलियों के फिंगरप्रिंट-

दायें हाथ की अंगुलियों के फिंगरप्रिंट-

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH पर्त नं० (3) AF 650880

पट्टे पर दिया है और पट्टेदार ने 30 साल
की अवधि हेतु लेना स्वीकार किया है।
जिसके हम दोनों पक्षकार गण व उनके कायम
मुकामान वारिसान व स्थानापन्न सदैव पाबंद

नि० प्रथम पक्ष
श्रीमती शकुन्तला देवी

ह० द्वितीय पक्ष
रश्मि

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH पर्त नं०(5) AF 650881

रहेगें।

(2) यह कि वर्णित सम्पत्ति का भू-भाड़ा 3000 रुपया सालाना तय करार पाया जाता है। जिसको पट्टेदार द्वितीय पक्ष पट्टा दाता प्रथम पक्ष को बजरिये रसीद साल के साल अदा करता रहेगा। अदम अदाय भू-भाड़ा 30 साल पट्टा दाता प्रथम पक्ष को भू-भाड़ा वसूल करने का अधिकारी रहेगा। परन्तु किसी सूरत में पट्टादाता प्रथम पक्ष अथवा उसके स्थानापन्न पट्टेदार या वारिसान पट्टेदार को उसके स्थानापन्न की अवधि के दौरान पाबन्द रहेगें।

(3) यह कि कब्जा व दखल पट्टादाता प्रथम पक्षने

नि० प्रथमपक्ष
श्रीमती शकुन्तला देवी

ह० द्वितीय पक्ष
रश्मि

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH   पर्त नं०(5)   AF 650882

वर्णित सम्पत्ति से अपना कब्जा हटा कर पट्टेदार
द्वितीय पक्ष का वास्तविक रूप से पट्टेदाराना करा दिया
पट्टेदार वर्णित सम्पत्ति पर काबिज होकर नव निर्माण
करावे व स्वंय जो चाहे सो करे।

(4) जिसकी चतुर सीमा यह है:-

पूरब → खेत महेन्द्र , पश्चिम → चकमार्ग

उत्तर → सदर निकास व खेत, दक्षिण → खेत पंचम आदि
मशीन्चरन आदि

नि० प्रथम पक्ष
श्रीमती शकुन्तला देवी

ह० द्वितीय पक्ष
रश्मि

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH पर्त नं० (6)

AF 650883

विदित हो कि मुझ प्रथम पक्ष की जमीन स्थित ग्राम:- सिहावली, परगना रजपुरा तहसील गुन्नौर जिला भीमनगर में खसरा संख्या- 563 रकबा 0.812 है० है जिसमें से मैं प्रथम पक्ष 8080 वर्ग मीटर द्वितीय पक्ष को पट्टा 30 साल को कर रही हूँ उसमें सात कमरे मय बरामदा प्रत्येक कमरे की माप लम्बाई 7 मीटर व चौड़ाई 6 मीटर 50 से०मी० कुल क्षेत्रफल प्रत्येक कमरे का 45.5 वर्ग मीटर है तथा बाकी जगह फील्ड के रूप में खेल के मैदान आदि के रूप में खाली हैं। एक मैनगेट व चार दीवारी पुख्ता बची हुई मिलकीयत प्रथम पक्ष है।

नि०: प्रथमपक्ष
श्रीमती शकुन्तला देवी

ह० द्वितीयपक्ष
रश्मि

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH पर्त नं०(7) AF 650884

जो हर प्रकार के ऋण भार अन्तरण आदि से पाक व साफ हैं। तथा प्रथम पक्ष को उक्त जमीन की बाबत हर प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। अत: अपने अधिकार का प्रयोग करके लाभार्थ स्थाई आय हेतु उक्त सम्पत्ति को 30 साल के लिए शैक्षिणिक कार्य के लिए उक्त संस्था द्वितीय पक्ष को पट्टे पर देना तय किया है। सौभाग्य से द्वितीय पक्ष उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति पट्टे पर लेने को तैयार है।

नि०अ० प्रथम पक्ष
श्रीमती शकुन्तला देवी

ह० द्वितीय पक्ष
रश्मि

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH   पत्र नं०(8)   AF 650885

लिहाजा मन इन्द्रिय बुद्धि की स्वस्थ अवस्था में
बिना खाये या बिना सूंघे किसी नशीली वस्तु के
यह पट्टा विलेख म्यादी 30 साल दोनो पक्षकारगण
ने दो गवाहान के समक्ष अपने-अपने नि०अं०/
हस्ताक्षर करके लिपिबद्ध कर दिया ताकि प्रमाण
रहे और समय पर काम आये। फोटू

ह० द्वितीयपक्ष
रश्मि

नि०अं० प्रथमपक्ष
श्रीमती शकुन्तला देवी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH   पर्त नं०(7)   AF 650886

प्रमाणित श्री हेमन्त कुमार दीक्षित एडवोकेट तह० गुन्नौर ने किये हैं। ड्रवि.-

नि०अं० प्रथम पक्ष   ह० द्वितीयपक्ष रश्मि

गवाह!- नि० निहाल सिंह पुत्र श्री राम सिंह
निवासी- सिहावली, पर० रजपुरा, तह० गुन्नौर
जिला- भीमनगर

गवाह!- मुकेश कुमार दीक्षित एडवोकेट
तह० गुन्नौर जिला भीमनगर

Drafted and written by - Hament kumar Dixit
ADVocate.
Teh- GUNNOUR, Distt. Bhimnagar

Date → 13-08-2012